

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा,
प्लाट न0 4-5, सैक्टर 33-बी, दक्षिण मार्ग, चण्डीगढ़

का.आ. संख्या.: प्रशासन. II/लेखापरीक्षा/2024-25/264

दिनांक: 04.11.2024

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय में दिनांक 08.10.2024 को परिचालित मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 892/एसए-वी/अभ्यावेदन/64-2023 दिनांक 19.09.2024 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है और यह दोहराया जाता है कि जब भी, सेवा अधिकारों या शर्तों से जुड़े किसी भी मामले में, कोई सरकारी कर्मचारी दावा करना चाहता है या किसी शिकायत का निवारण चाहता है, तो उचित तरीका यह है कि वह अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी, या अपने कार्यालय के प्रमुख, या निम्नतम स्तर पर ऐसे अन्य प्राधिकारी से संपर्क करें जो मामले से निपटने में सक्षम हो।

2. मुख्यालय कार्यालय से स्पष्ट निर्देश जारी होने के पश्चात्, यह संज्ञान में आया है कि वाणिज्यिक संवर्ग के कुछ अधिकारी पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण या अनुशासनात्मक मामलों आदि से संबंधित मामलों के संबंध में उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) सह-अध्यक्ष लेखापरीक्षा बोर्ड, महानिदेशक (वाणिज्यिक) और मुख्यालय कार्यालय के अन्य उच्च अधिकारियों के समक्ष सीधे अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। वाणिज्य संवर्ग के अधिकारियों के इस कार्य को उच्च अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है।

3. दिनांक 19.09.2024 के उपर्युक्त परिपत्र में उल्लिखित अनुदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का निदेश दिया जाता है और एसएएस (वाणिज्यिक) उत्तीर्ण विभागीय उम्मीदवारों सहित वाणिज्यिक संवर्ग के सभी अधिकारियों को उचित माध्यम से अपना अभ्यावेदन या अपील प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है।

4. यदि वाणिज्यिक संवर्ग का कोई भी अधिकारी अपना अभ्यावेदन सीधे मुख्यालय कार्यालय के उच्च अधिकारियों या किसी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत करता है, तो उसके विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Sd/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन.II)

संख्या.: प्रशासन. II / लेखापरीक्षा/7-150/2024-25/2196-2200

दिनांक:- 04.11.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार के सचिव
2. सभी समूह अधिकारी
3. कम्प्यूटर सेल- कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. नोटिस बोर्ड

90
राहत तलवार
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन.II)